न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00042 **दायरा दिनांक : 25.02.2019**

उनवान

1. गोपाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
2 जमनालाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
3. धन्नालाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
4. पप्पूलाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
5. मनभर वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
6. बतूल बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा

.... अपीलांट

बनाम

1 नारायण वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
2 दीपचन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
3 नवल पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी अमलावदा, तहसील अकलेरा
4 घनश्याम वल्द गिरधारी मीणा, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
5 दाखां बाई पुत्री गिरधारी जोजे किशनलाल मीणा, निवासी दीगोद जागीर, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
6 कमला बाई पुत्री गिरधारी जोजे भागचन्द मीणा, निवासी गादिया जयमल,
7 पुरूषोत्तम वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
8 देशराज वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
9 लेखराज वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
10 लाड बाई पुत्री बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
11 सन्ती बाई पुत्री बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
12 चन्द्रकला बाई बेवा बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
13 प्रेमलाल वल्द देवलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
14 बजरंग वल्द देवा मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
15 भरोसी बाई पुत्री देवा जोजे पूरीलाल मीणा, निवासी बरडावदा, तहसील अकलेरा
16 गीता बाई पुत्री देवा जोजे छोटू मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा
17 बादामबाई पुत्री देवा पत्नी पप्पूलाल मीणा, निवासी पनवासा, तहसील झालरापाटन
18 रामनाथ बाई पत्नी धन्नालाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
19 मोहनलाल वल्द ओंकार गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
20 भंवरलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
21 पप्पूलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
22 भंवरलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
23 चतुर्भुज वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
24 लेखराज वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
25 केसरबाई बेवा गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
26 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा
27 शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे, हाल एस बी आई शाखा अकलेरा
28 भूमि अवाप्ति अधिकारी रेल्वे लाईन अकलेरा

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00041 **दायरा दिनांक : 25.02.2019**

उनवान

1. गोपाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
2 जमनालाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
3. धन्नालाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
4. पप्पूलाल वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
5. मनभर वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
6. बतूल बाई बेवा मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरां .... अपीलांट

बनाम

1 नारायण वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 दीपचन्द वल्द मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
3 नवल पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी अमलावदा, तहसील अकलेरा
4 घनश्याम वल्द गिरधारी मीणा, जाति मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
5 दाखां बाई पुत्री गिरधारी जोजे किशनलाल मीणा, निवासी दीगोद जागीर, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां
6 कमला बाई पुत्री गिरधारी जोजे भागचन्द मीणा, निवासी गादिया जयमल,
7 पुरूषोत्तम वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
8 देशराज वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
9 लेखराज वल्द बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
10 लाड बाई पुत्री बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
11 सन्ती बाई पुत्री बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
12 चन्द्रकला बाई बेवा बाबूलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
13 प्रेमलाल वल्द देवलाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
14 बजरंग वल्द देवा मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
15 भरोसी बाई पुत्री देवा जोजे पूरीलाल मीणा, निवासी बरडावदा, तहसील अकलेरा
16 गीता बाई पुत्री देवा जोजे छोटू मीणा, निवासी गादिया जयमल, तहसील अकलेरा
17 बादामबाई पुत्री देवा पत्नी पप्पूलाल मीणा, निवासी पनवासा, तहसील झालरापाटन
18 रामनाथ बाई पत्नी धन्नालाल मीणा, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
19 मोहनलाल वल्द औंकार गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
20 भंवरलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
21 पप्पूलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा,
22 भंवरलाल वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
23 चतुर्भुज वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
24 लेखराज वल्द गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
25 केसरबाई बेवा गोर्धन गाडरी, निवासी मेंठून, तहसील अकलेरा
26 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा
27 शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे, हाल एस बी आई शाखा अकलेरा
28 भूमि अवाप्ति अधिकारी रेल्वे लाईन अकलेरा .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 48/दावा/2012 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में नारायण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मेंठून, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नई 78 व पुरानी 73 की खसरा नम्बरान क्रमशः 282 की 2 बीघा 4 बिस्वा, 283 की 2 बीघा 5 बिस्वा, 285 की 2 बीघा 10 बिस्वा, 406 की 11 बीघा 4 बिस्वा, 616 की 5 बीघा 1 बिस्वा कुल जुम्ला 5 किता की 23 बीघा 4 बिस्वा आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते की स्थित हैं। ग्राम मेंठून तहसील अकलेरा के ही माल में खतौनी संख्या 137 व पुरानी 209 की खसरा नम्बर 432 की 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं 7 व 8 के शामिल खाते की स्थित है। ग्राम मेंठून तहसील अकलेरा के ही माल में नई खतौनी संख्या 260 व पुरानी 236 की खसरा नम्बर 69 की 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी पक्षकारान के शामिल खाते की स्थित है। ग्राम बिन्दायगा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 115 पुरानी 101 की खसरा नम्बर 642 की 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी पक्षकारान के शामिल खाते की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने अपने निर्णय व

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 से वादी का दावा स्वीकार किया कि ग्राम मेंठून, तहसील अकलेरा के माल की खाता स0 78 की 5 किता की 23.04 बीघा में से रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गयी 9.06 बीघा को कम करते हुये शेष 13.18 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं० 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/18 भाग आराजी का, इसी ग्राम की खाता सं० 137 की ख0 नं0 432 की 7.18 बीघा आराजी में प्रतिवादनी नं० 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/6 भाग आराजी का इसी ग्राम की खाता सं० 260 की ख0 नं0 69 की 16.04 बीघा आराजी में से प्रतिवादीगण 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/24 भाग आराजी का ग्राम बिन्दायगा के माल की खाता सं0 115 की ख0 नं0 642 की 5.04 बीघा आराजी में से प्रतिवादनी नं० 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/21 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा वादी के हिस्से की उक्त आराजी को वादी के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। वादी फाईनल डिक्री हेतु नियमानुसार नो० ज्यू० स्टा० पेश करें। खर्चा वादनीगण स्वयं का वहन करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने अपने निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.2016 से ग्राम मेंठून, तहसील अकलेरा के माल की खाता सं0 78 की 5 किता की 23.04 में से रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई 9.06 का कम करते हुए शेष 13.18 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं० 8 का नाम हटाया जाकर वादी का 1/18 भाग एवं खाता नम्बर 137 की खसरा नम्बर 432 की 7.18 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी का 1/6 भाग तथा खाता नम्बर 260 की खसरा नम्बर 69 की 16.04 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी का 1/24 भाग आराजी निम्न प्रकार से पृथक दर्ज की जावे तथा ग्राम बिन्दायगा की खाता नम्बर 115 की खसरा नम्बर 642 की 5.04 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी का 1/21 भाग निम्न प्रकार से पृथक किया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। कब्जा आराजी वादी को दिया जावे। बैंक रहन का नोट यथावत दर्ज रहेगा, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई।

ग्राम	खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म जमीन	लगान	दिशा
मेंठून	278	69	0.13	माल प्रथम	0.81	दक्षिण पूर्वी कोना
	166	282	0.02	माल सोयम	0.12	पूरब की तरफ
	77	283	0.02	माल सोयम	0.13	पूरब की तरफ
		285	0.02	माल सोयम	0.12	पूरब की तरफ
		616	0.05	माल सोयम	0.31	पश्चिम की तरफ
	139,166	406	0.04	माल सोयम	0.25	पश्चिम दक्षिण की तरफ
	69	432	1.06	माल प्रथम	2.27	पूरब की तरफ
	योग 7 किता		2.14		4.01	
बिन्दायगा		642	0.05	बरानी प्रथम	0.26	उत्तर

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

अपील संख्या 2019/00042 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित कर दिनांक 29.05.2013 को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नारायण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं बंटवारा डिक्री करने में त्रुटि की है बिना आधार के विवादित आराजी से रेस्पोडेन्ट क्रम 7 व 8 का नाम हटाने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट क्रम 8/अपीलांट बतूलबाई खातेदार मथुरालाल मीणा की बेवा औरत होने से कानूनन उक्त आराजी में उसको अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सन्दर्भ में कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कोई गौर नहीं फरमाया जब तक बतूल बाई जिन्दा है उसका नाम खाते में से नहीं हटाया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 8 बतूलबाई का नाम हटाकर विवादित आराजी का बतूलबाई के हिस्से का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी को खातेदार घोषित कर बंटवारा करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की है। कानूनन मीना जाति की बेवा को ओल्डं हिन्दू लॉ के तहत आराजी का अपना लाईफ टाईम उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मामले में कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कोई उचित गौर नहीं फरमाया। प्रतिवादी क्रम 10 नूरका 2 वर्ष पूर्व फोत हो चुकी है। उसके कायम मुकामान प्रतिवादी क्रम 9 व 11 रेकोर्ड पर है। ऐसी स्थिति में अपील में नूरका बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.13 निरस्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 2019/00041 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आदेश एवं फाईनल डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.2016 केवल वादी वकील की सहमति के आधार पर जारी की है, अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील से प्राप्त विभाजन पत्र पर कोई उचित गौर नहीं फरमाया और फाईनल डिक्री का आदेश दे दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है। कानूनन बंटवारे के नियम 18 से 21 के मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के लिये तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाना चाहिये और दोनों पक्षों को तलब कर बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय मौके पर बुलाना चाहिये। परन्तु विवादित मामले में तहसीलदार साहब मौके पर नहीं गये। ऐसी स्थिति में बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियमो के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। बंटवारा प्रस्ताव में केवल वादी/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नारायण का हिस्सा पृथक किया गया है बाकी अन्य खातेदारान का हिस्सा पृथक नहीं किया गया है जो बंटवारे के नियम के पूर्णतया विपरीत है। वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को हर खसरे में से टुकडा करके आराजी दी गई है जो भी अवैधानिक है इससे पक्षकारान के मध्य लडाई की स्थिति बन गयी है। वक्त बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय पटवारी हल्का या कानूनगों के द्वारा अपीलान्ट को मौके पर नहीं बुलाया गया। अपीलान्ट के कब्जे की जमीन खसरा नम्बर 425 व 406 की दीपचन्द वल्द नारायण को दे दी, जो अवैधानिक है। मौके पर बंटवारा प्रस्ताव में पक्षकारान के कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया। नूरकाबाई प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी, कायम मुकाम रेकार्ड पर है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.2016 निरस्त की जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रारम्भिक डिक्री की पेश की जो शामिल पत्रावली की गई लिखित बहस में अंकित किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2013 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम–1 नारायण के द्वारा ग्राम मेंठून, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या–78 की 5 किता की 23 बीघा 4 बिस्वा एवं इसी ग्राम की खाता संख्या–137 की खसरा नम्बर–432 की 7 बीघा 18 बिस्वा एवं ग्राम बिदायगा की खाता संख्या–115 की खसरा नम्बर–642 की 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी बताते हुऐ वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पूर्व में वादी तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत–6 के पिता मथुरा के शामलाती खाते में दर्ज थी और मथुरा के बाद वादी तथा प्रतिवादीगण क्रम–1 लगायत 6 के खाते दर्ज हुई। परन्तु पक्षकार मीणा जाति के होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से पुत्रियों को और बेवाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रम–7 व 8 का नाम रिकॉर्ड से हटाये जाने योग्य है एवं प्रतिवादी क्रम–6 का नाम भी गलत दर्ज किया गया है। अतः वादी को हिस्सा 1/18 भाग पर खातेदार घोषित किया जाकर आराजी पृथक की जाकर कब्जा आराजी दिलायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुऐ रेस्पोडेन्ट क्रम का वाद डिक्री कर दिया और प्रतिवादी क्रम–7 व 8 का नाम हटाने का आदेश पारित कर दिया इसलिए अपीलान्ट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील पेश की है।

यह निर्विवाद है कि पक्षकारान जाति से मीना है एवं मीना जाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत किसी खातेदार की मृत्यु पर उसके पुत्र व बेवा को अधिकार है, पुत्रियों को अधिकार नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम–8 अपीलान्ट क्रम–6 बतूल बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है।

(दीपि रामलाल मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऑल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि में निहित प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपील की मेंरिट को मध्यनजर रखते हुऐ एवं न्याय हित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाते हुऐ अपील के गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुऐ नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान को मध्यनजर रखते हुऐ पुनः निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस फाईनल डिक्री की पेश की जो शामिल पत्रावली की गई लिखित बहस में अंकित किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का वाद दिनांक 29.05.2013 को प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुऐ आदेश दिया था कि ग्राम मेंठून, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या–78 की 5 किता की 23 बीघा 4 बिस्वा में से रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई 9 बीघा 6 बिस्वा आराजी कम करते हुऐ शेष 13 बीघा 18 बिस्वा आराजी में से प्रतिवादी क्रम–8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/18 भाग का इसी ग्राम की खाता संख्या–137 की खसरा नम्बर–432 की 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी में प्रतिवादी नम्बर–7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/6 भाग आराजी का और इसी ग्राम की खाता संख्या–260 की खसरा नम्बर–69 की 16 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर–7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/24 भाग आराजी का ग्राम बिन्दायका के माल की खाता संख्या–115 की खसरा नम्बर–642 की 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से प्रतिवादी नम्बर–7 व 8 का नाम हटाया जाकर वादी को 1/21 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करने का आदेश दिया था।

विवादित आराजी के मामले में तहसील से प्राप्त विभाजन पत्र के आधार पर दिनांक 12.03.2016 को लोक अदालत में प्राप्त विभाजन पत्र पर वादी की सहमति मानकर फाईनल डिक्री बनाने का आदेश पारित कर दिया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री जारी करने में बंटवारे के नियम 18 से 21 की ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसील के द्वारा जो बंटवारा पत्र प्रस्तुत किया गया उससे स्पष्ट था कि उक्त बंटवारा पत्र स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नहीं बनाया गया एवं बंटवारा पत्र तैयार करते समय भी पक्षकारान को कोई सूचना नहीं दी गई और मौके पर पक्षकारान के कब्जे का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार विभाजन पत्र बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत होने से फाईनल डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अपीलान्ट के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 के विरुद्ध भी पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत है जिसमें मियाद का बिन्दु बाधक नहीं हो सकता। न्यायहित में एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुऐ प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 12/03/2016 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2012 (1) पेज 431, आर.आर.डी. जनवरी 2002 पेज 31, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1104 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी जनवरी 2002 पेज 31 से 33 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00042 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम हटाते हुए वादी रेस्पोडेंट नं. 1 का हिस्सा वादग्रस्त आराजी से पृथक करते हुए इसे अपने हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर कब्जा आराजी दिलाया जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 से वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादिनी नं. 7 व 8 का नाम हटाया ज़ाकर वादी को स्वयं के हिस्से की आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करते हुए वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के हिस्से की आराजी को वादी के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अपीलांट जाति से मीना है व मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है और ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत किसी खातेदार की मृत्यु पर उसके पुत्र व बेवा को अधिकार है, पुत्रियों को अधिकार नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 8/अपीलांट कम 6 बतूल बाई का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाने का आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में ऑल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00041 के कम में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 से वादी का वाद स्वीकार कर तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने फाइनल डिक्री जारी करने में बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना पर ध्यान नहीं दिया। बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को कोई सूचना नहीं दी गई। आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत होने से फाइनल डिक्री निरस्त होने योग्य है। न्यायहित में मेरिट को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये थे। प्रतिवादी अपीलांट बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है। अनुसूचित जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति में पुत्र व पौत्र को अधिकार प्राप्त होते है, पत्नी और बेटी को नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक व अंतिम डिक्री विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण यथावत रखी जाए।

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत अपील लिखित बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया।

प्रस्तुत दोनों अपीलों एवं उभयपक्षों की सुनी गई बहस से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 का वाद स्वीकार करते हुए अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 से प्रतिवादी कम 7 व8 का नाम वादग्रस्त आराजी से हटाने एवं वादी रेस्पोडेंट कम 1 को अपने हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित करते हुए वादी रेस्पोडेंट कम 1 का खाता पृथक करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को आदेशित किया। इस निर्णय व डिक्री के कम में अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी कम 8/अपीलांट कम 6 बतूल बाई बेवा मथुरालाल जाति मीना का वादग्रस्त आराजी से नाम हटाने में त्रुटि की है। बतूल बाई बेवा मथुरालाल मीना को वादग्रस्त आराजी में अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। अपने कथन की पुष्टि में अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 431 प्रस्तुत की जो विचाराधीन प्राथमिक डिक्री की अपील पर चस्पा होती है। उक्त प्रस्तुत इस न्यायिक दृष्टांत में 2007 (1) आर.आर.टी. पेज 379 = आर.बी. जे (14) 2007 पेज 114 (CASE OF Keshanti (Smt.) & Ors. VS Ramdas) में दी गई न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि राजस्व मण्डल द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 (2) तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय श्री हंसा बनाम रतनलाल (2002 आर.आर.सी पेज 626) में दी गई व्यवस्था पर चर्चा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जनजाति (मीना जाति) के खातेदार की मृत्यु के बाद उसके लड़के एवं उसकी विधवा को अधिकार प्राप्त होते हैं, पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलते हैं।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के मृतक व्यक्ति की विरासत में पुत्रों व विधवा को तो अधिकार मिलते हैं किन्तु पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलते हैं।

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने के लिए अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आर.आर.टी. पेज 1104 प्रस्तुत किया है, जो प्रस्तुत अपील पर चस्पा होता है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संदर्भित प्रकरण सहखातेदारों की भूमि के बंटवारे बाबत है। यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उसके हितों पर कुठाराघात होने संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रकरण को मियाद के बिन्दू पर खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिए था।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2016 पर सुनी गई बहस से यह स्पष्ट होता है कि बंटवारे का प्रस्ताव तैयार करते समय बंटवारे हेतु अभिनिर्धारित राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर तहसीलदार अकलेरा को प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार अकलेरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.07.2015 से उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को प्रेषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2019/00042 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 से सहखातेदारों के विरूद्ध एकतरफा डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी कम 8/अपीलांट कम 6 बतूलबाई बेवा मथुरालाल मीना का नाम खाते से हटाने का निर्णय पारित करने में कानूनन भूल की है। इसी प्रकार दिनांक 04.07.2012 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रथम पेशी दिनांक 06.08.2012 को सहखातेदार प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाना न्यायहित में नहीं माना जा सकता। अपील संख्या 2019/00041 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना होना नहीं पाया गया।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2019/00042 एवं 2019/00041 दोनों ही अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2013 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2016 खारिज किये जाते हैं। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करें एवं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कराते वक्त बंटवारे के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात प्रकरण में पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा